झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1095/2019 ......67...... /राँची, दिनांक ......14.02.19......

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

2120
14.02.19

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन ₹ 670.98 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख अनठानवे हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन ₹ 670.98 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख अनठानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशसनिक स्वीकृति दी जाती है।

3. जल संसाधन विभाग द्वारा अपने विभिन्न कार्यो हेतु कई प्रकार के भवनो का निर्माण कराया गया है यथा कार्यालय भवन, निरीक्षण भवन, पदाधिकारी आवास एवं आवासीय कॉलोनी इत्यादि। उपरोक्त भवन वर्षो पुराने हैं जिसका समय के साथ उचित मरम्मति एवं रख–रखाव आवश्यक है। साथ ही आवासीय शिविरों में जलापूर्ति, सड़को की मरम्मति, चहारदीवारी की मरम्मति एवं पुर्नस्थापन कार्य कराये जायेंगे जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	कार्य का नाम	प्रमंडल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4
1.	फुलवरिया सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य स्थल पर अवस्थित निरीक्षण भवन सहित पूरे परिसर का सुरक्षात्मक घेरा	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	₹ 20.41
2.	बायां बांकी सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य स्थल पर अवस्थित निरीक्षण भवन सहित पूरे परिसर का सुरक्षात्मक घेरा	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	₹ 19.59
3.	गढ़वा अवस्थित सिंचाई कॉलोनी एवं निरीक्षण भवन (कनहर भवन) तथा नगर ऊँटारी (नया नाम वंशीधर नगर) अवस्थित सिंचाई कॉलोनी एवं निरीक्षण भवन (जल क्रांति भवन) का वार्षिक रख रखाव एवं सम्पोषण।	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	₹ 10.00
4.	नगर ऊँटारी (नया नाम वंशीधर नगर) अवस्थित सिंचाई कॉलोनी में जलापूर्ति का कार्य	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	₹ 10.00
5.	जलपथ प्रमण्डल सिंचाई शिविर मेदिनीनगर स्थित चाहर दिवारी बनाने हेतु प्राक्कलन।	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 175.91

D:\Node-4\De. Sir\Sanlekha\Building_ (Medininagar) -670-98.doc

6	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर, जलपथ अवर प्रमण्डल, मेदिनीनगर, विशेष भू–अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय, मेदिनीनगर, कदवन बांध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर, जलपथ अवर प्रमण्डल, नगर उंटारी शिविर मेदिनीनगर, जलपथ अवर प्रमण्डल मलय शिविर मेदिनीनगर कार्यालय भवन एवं संयुक्त कार्यालयों का शौचालय की मरम्मति के साथ सिंचाई शिविर में रोड/नाली का निर्माण कार्य।	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 296.15
7.	जलपथ प्रमण्डल, सिंचाई शिविर मेदिनीनगर स्थित क्वाटर नं०–EP-13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 दो मंजिला आवास एवं क्वाटर नं० डी०–2 आवास के मरम्मति कार्य।	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 70.69
8.	जलपथ प्रमण्डल सिंचाई शिविर मेदिनीनगर स्थित विभिन्न स्टाफ क्वार्टर एवं कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु HT एवं LT लाईन के तार PSC Pole को बदलने, एक अदद् 200 K.V. ट्रान्सफामर लगाने का कार्य।	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 32.95
9.	जलपथ प्रमण्डल सिंचाई शिविर मेदिनीनगर स्थित क्वार्टर एवं कार्यालयों में जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन के अधिष्ठापन कार्य।	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 35.28
	कुल :–		**₹ 670.98**

4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण कराया जाएगा।

5. इस कार्य पर होनेवाला व्ययः–
मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–66–नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारित होगा।

6. उपरोक्त कार्यों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कंडिका 3 के स्तम्भ–3 में अंकित प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. इस कार्य के लिए वर्ष 2018–19 के बजट में रू० 400.00 लाख राशि का उपबंध है।

9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

12. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह) 12-2-19
अपर मुख्य सचिव

D:\Node-4\De. Sir\Sanlekha\Building_ (Medininagar) -670-98.doc

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1095/2019 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1095/2019 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1095/2019 67/18-19-4-2019 /राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/ जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1095/2019 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1095/2019 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

4